

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प8(3)राज/वाद/98पार्ट-2

जयपुर, दिनांक 09-07-2021

:: अधिसूचना ::

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19.02.21 के द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 (The Prevention Of Money Laundering Act) से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायाधीश, साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण जयपुर के स्थान पर विशेष न्यायाधीश(सी.बी.आई प्रकरण) सं03 जयपुर महानगर प्रथम को विशेष न्यायालय अधिसूचित किया है।

अतः धारा 24(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 46 (The Prevention Of Money Laundering Act) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की ओर से विशेष न्यायाधीश(सी.बी.आई प्रकरण) सं03 जयपुर महानगर प्रथम में धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 (The Prevention Of Money Laundering Act) से संबंधित विचाराधीन प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक, साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण जयपुर को विशिष्ट लोक अभियोजक की शक्तियों एतद्वारा प्रदत्त की जाती हैं।


आज्ञा से,

३०

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट न्यायाधीश (सां0दं0प्र0) जयपुर।
4. विशेष न्यायाधीश(सी.बी.आई प्रकरण) सं03 जयपुर महानगर प्रथम।
5. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम/जयपुर महानगर-द्वितीय।
6. जिला कलक्टर, जयपुर।
7. विशिष्ट लोक अभियोजक (सां0दं0प्र0) जयपुर।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
10. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।


9/7/21
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि